प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

18 दिसंबर, 2025

सीएजी की ड्यूटी ड्रॉबैक योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत!

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए, ड्यूटी ड्रॉबैक योजना (संघ सरकार-सीमा शुल्क) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निष्पादन लेखापरीक्षा, (2025 की रिपोर्ट संख्या 33), संसद में आज प्रस्तुत की गई।

इस योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) यह पता लगाने के लिए किया गया था कि क्या सीमा शुल्क, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और विकास आयुक्तों द्वारा स्वीकृत ड्रॉबैक मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन में है; ईडीआई प्रणाली ड्रॉबैक दावों की निगरानी की सुविधा प्रदान करती है और आंतरिक नियंत्रण उपाय राजस्व हानि, दुरुपयोग आदि के जोखिमों को कम करने के लिए पर्याप्त हैं।

इस प्रतिवेदन में 66 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां और 19 सिफारिशें शामिल हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा का राजस्व निहितार्थ ₹701.69 करोड़ है। सीबीआईसी और डीजीएफटी से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार किया गया है और उन्हें उचित रूप से इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। यह प्रतिवेदन सात अध्यायों में विभाजित है। अध्याय 2 से 7 में मंत्रालय में ड्रॉबैक डिवीजन के लेखापरीक्षा परिणामों, निष्कर्षों और सिफारिशों से संबंधित कार्य, ड्रॉबैक की निर्दिष्ट श्रेणियां जैसे, एआईआर, ब्रांड/विशेष ब्रांड दरें, आयातित माल का पुनर्निर्यात, डीम्ड निर्यात और निगरानी और आंतरिक नियंत्रण।

इस रिपोर्ट में शामिल महत्वपूर्ण निष्कर्षों का उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है:

1. वर्ष 2021 और 2022 के दौरान ड्रॉबैक समिति की अनुपस्थिति ने बजट में लाए गए शुल्क परिवर्तनों के जवाब में ड्रॉबैक दरों में समय पर संशोधन को बाधित किया। समिति के समय पर गठन से दरों के लिए नियमित अद्यतन सुनिश्चित होगा और नई प्रविष्टियों को शामिल करने से कर बोझ बेहतर होगा, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और बाजार के अंतर को सक्षम किया जा सकेगा।

(पैरा 2.1)

2. लेखापरीक्षा ने पाया कि अन्य तीन वर्षों में समिति के गठन में काफी समय लिया गया था। बजट के तुरंत बाद या उससे पहले समय पर गठन से व्यापार डेटा का विश्लेषण करने और एआईआर में आवश्यक समायोजन करने के लिए पर्याप्त समय की अनुमति देगा। लेखापरीक्षा का मानना है कि ड्रॉबैक समिति के लिए एक विशेष एसओपी, उपयोगहीनता को कम करके उन्नत गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए सुसंगत मानकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा।

(पैरा 2.2.1 & 2.2.2)

3. पहले से प्राप्त राशि को अद्यतन न किए जाने के कारण भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) में निर्यात आय की प्राप्ति में लंबितता एक गंभीर कमी को इंगित करती है। यह गलत रिपोर्टिंग विभाग की गैर-प्राप्ति के वास्तविक मामलों की सटीक रूप से पहचान करने की क्षमता को बाधित करती है, जो निर्यात डेटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) को आईसीईएस मॉड्यूल के साथ एकीकृत करने के इरादे को विफल करती है। यह निर्यात आय की वसूली पर नज़र रखने के लिए आईसीईएस प्रणाली के भीतर एक प्रभावी निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति पर भी प्रकाश डालता है।

(पैरा 3.1)

4. क्रमशः 543 मामलों के प्रसंस्करण दावों में महत्वपूर्ण देरी (चयनित 23 आयुक्तालयों में 70.69 *प्रतिशत* और अखिल भारतीय मामलों में 78.70 *प्रतिशत*) और 51,252 मामलों में छह महीने से अधिक समय तक देरी से पर्यवेक्षण और आंतरिक नियंत्रण की कमी का संकेत मिलता है जो प्रक्रियाओं के सरलीकरण, व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता के उद्देश्य को प्राप्त करने के विभाग के प्रयास को प्रभावित करता है।

(पैरा 3.6)

5. आईसीईएस प्रणाली में अपूर्ण डेटा कैप्चरिंग और शिपिंग बिलों के प्रासंगिक विवरणों के सत्यापन के बिना ड्यूटी ड्रॉबैक की मंजूरी और भुगतान ड्रॉबैक संवितरण में एक अपर्याप्त निगरानी तंत्र को इंगित करता है।

(पैरा 3.7)

6. लेखापरीक्षा में पाया गया कि ड्रॉबैक पहचानसूचक का गलत आरोपण नियम 6 और नियम 7 के तहत ड्रॉबैक भुगतान के वर्गीकरण को विकृत करता है। यह गलत प्रतिनिधित्व रिपोर्टिंग, नीति निर्माण और कार्यनीतिक योजना के लिए महत्वपूर्ण डेटा की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। इसके अलावा, चूंकि प्रसंस्करण मैनुअल रूप से किया जाता है और आईसीईएस में आवश्यक सुधार प्रभावी नहीं किए जाते हैं, इसलिए लगातार अशुद्धियों और प्रणालीगत अक्षमताओं का जोखिम अनसुलझा रहता है।

(पैरा 4.1.3 से 4.1.5)

7. आयुक्तालयों के समग्र कामकाज को बेहतर बनाने और संभावित राजस्व रिसाव को रोकने के लिए ब्रांड दर मामलों का आंतरिक लेखापरीक्षा किया जाना आवश्यक है। समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन से ब्रांड दर निर्धारण प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी और बोर्ड के व्यापक प्रशासनिक ढाँचे को सुदृढ़ बनाया जा सकेगा।

(पैरा 4.2.6)

8. लेखापरीक्षा ने आईसीईएस में अपर्याप्तता देखी, जो निर्यात आय प्राप्ति की वास्तविक समय की स्थिति को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने में विफल रहती है। यहां तक कि उन मामलों में जहां निर्यात आय की समय पर और पूरी तरह से प्राप्ति की गई है, प्रणाली शून्य प्राप्ति को प्रदर्शित करना

जारी रखती है, जिससे भौतिक ई-बीआरसी के अनावश्यक मैनुअल सत्यापन को बाध्य किया जाता है। यह न केवल परिचालन अक्षमताओं की ओर ले जाता है, बल्कि सूचित निगरानी और अनुपालन प्रयासों का समर्थन करने में प्रणाली की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता के बारे में भी चिंता पैदा करता है।

(पैरा 5.1)

9. एसईजेड से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में माल की आपूर्ति के मौजूदा प्रावधानों में कमी के कारण एसईजेड को पुनर्निर्यात माल के लिए डीटीए से फाइल धारा 74 ड्रॉबैक दावों की अनुमति या अस्वीकार करने में सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अलग-अलग तरीकों का पालन किया जा रहा था। स्पष्ट रूप से न तो एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ओ) के तहत और न ही सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2 (23) के तहत "आयात" के रूप में परिभाषित किया गया है।

(पैरा 5.8)

10. लेखापरीक्षा ने देखा कि पुराने आवेदन जिनमें 90 दिनों की निर्धारित समय अवधि के भीतर कमी ज्ञापन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा अस्वीकार नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 68 दिनों से 2,371 दिनों तक की अनुचित देरी हुई। इसने इन आवेदनों को 'लेट कट' के लिए उत्तरदायी बना दिया और कुछ मामलों में समय-बाधित भी कर दिया गया।

(पैरा 6.1 और 6.2)

11. डीम्ड निर्यात ड्रॉबैक मामलों की निगरानी और प्रसंस्करण के लिए नियंत्रण वातावरण की कमी थी और परिणामों जैसे कि समय-बाधित दावों की अनियमित मंजूरी, एक ही इनवॉइस पर ड्रॉबैक का दोहरा भुगतान, दावों के प्रसंस्करण में देरी और विलंबित संवितरण पर ब्याज का भुगतान न करना, सेवाओं की आपूर्ति के सापेक्ष ड्रॉबैक की अयोग्य मंजूरी और ईंधन, आयातित पूंजीगत वस्तुओं आदि पर उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क, के मद्देनजर डीओसी/डीजीएफटी द्वारा समीक्षा की आवश्यकता होती है।

(पैरा 6.3 से 6.8)

12. यह योजना इनवॉइस या शिपिंग बिल मूल्य के आधार पर डीम्ड ड्राबैक की अनुमति देती है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य विदेशी मुद्रा आय को बढ़ावा देना है और इसलिए ईबीआरसी में परिलक्षित देरी, प्रेषण में कमी और डीजीएफटी द्वारा प्रभावी निगरानी की कमी की समीक्षा की जानी चाहिए।

(पैरा 6.13)

13. लेखापरीक्षा ने विभिन्न आयुक्तालयों में कमी ज्ञापन (डीएम) जारी करने में विसंगतियाँ देखीं। एक निर्धारित व एक समान प्रारूप को अपनाने से निरंतरता सुनिश्चित होगी, जिससे एक ही प्रेषण में कमियों की व्यापक पहचान सक्षम होगी, और दावों के समय पर प्रसंस्करण और निष्पादन में सुविधा होगी।

(पैरा 7.1)

14. सीबीआईसी के निरंतर डिजिटल परिवर्तन प्रयासों के बावजूद, ड्यूटी ड्रॉबैक दावों का डिजिटलीकरण अधूरा है, विशेष रूप से ब्रांड दर, विशेष ब्रांड दर, और पूरक दावों के लिए, जिनका

अभी भी मैनुअल रूप से निपटान किया जाता है। इससे व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता के उद्देश्य बाधित होते है और इसीलिए सीबीआईसी को व्यापक स्वचालन के लिए अपने ही मौजूदा डिजिटल प्लेटफार्मों का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

(पैरा 7.2)

15. लेखापरीक्षा ने पाया कि आईसीईएस 1.5 प्रणाली में परिवर्तित शिपिंग बिलों की पहचान और ट्रैकिंग का पर्याप्त समर्थन नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप ड्यूटी ड्रॉबैक दावों से संबंधित निगरानी में खामियाँ थीं। इसके अलावा, कई आयुक्तालय ऐसे परिवर्तित शिपिंग बिलों का डेटा उपलब्ध कराने में असमर्थ थे, जिससे रिकॉर्ड के रखरखाव के बेहतर तरीकों और सिस्टम के बुनियादी ढाँचे के भीतर बेहतर एकीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

(पैरा 7.4)

16. लेखापरीक्षा ने एसईजेड, जीएसटीएन और डीजीएफटी ईडीआई प्रणालियों के साथ सीमा शुल्क ईडीआई के एकीकरण में कमियों को देखा, जिससे डेटा मिलान और पारदर्शिता में चुनौतियां सामने आईं। इन प्रणालियों के उचित एकीकरण से ड्यूटी ड्रॉबैक संवितरण प्रक्रिया में बेहतर ट्रैकिंग, निगरानी और सटीकता से विभागों में डेटा का सहज प्रवाह होगा।

(पैरा 7.6)

17. विभिन्न सीमा शुल्क आयुक्तालयों में, विशेष रूप से ड्यूटी ड्रॉबैक (डीबीके) विंग में, कर्मचारियों की भारी कमी के कारण निर्यातकों के ड्यूटी ड्रॉबैक दावों का प्रभावी और समय पर निपटान सुनिश्चित करने में विभाग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता पाया गया है।

(पैरा 7.7)

सिफारिशें

निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की कुछ प्रमुख सिफारिशें नीचे दी जा रही हैं:

1. सीबीआईसी सदस्य चयन, कोरम आवश्यकताओं के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंडों के साथ, ड्राबैक समिति के समय पर गठन और कामकाज के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित कर सकता है, और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सख्त समयसीमा, व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने को सुनिश्चित करते हुए और ड्रॉबैक दरों की स्थिरता, दक्षता और समय पर अधिसूचना की सुविधा के लिए विविध स्रोतों से डेटा एनालिटिक्स का इष्टतम उपयोग कर सकता है।

2. आवश्यक मापदंडों को कैप्चर करने, विसंगतियों के लिए अलर्ट सिस्टम, उपलब्ध डेटासेट के क्रॉस-सत्यापन, जैसे स्थानीय और कस्टोडियन ईजीएम को ड्रॉबैक संवितरण की स्वचालित प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सीबीआईसी की आईसीईएस प्रणाली की समीक्षा की जा सकती है।

3. आईसीईएस के बीआरसी मॉड्यूल को वास्तविक समय के आधार पर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति को सही ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए आरबीआई के ईडीपीएमएस मॉड्यूल के साथ सिंक्रनाइज़ किया जाना चाहिए ताकि लंबित विदेशी मुद्रा की वसूली पर एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया

जा सके और विदेशी मुद्रा की पहले से ही पूरी तरह से प्राप्ति होने पर परिहार्य मांग नोटिस जारी करने की आवश्यकता को कम किया जा सके।

4. सीबीआईसी मौजूदा आईसीईएस में तकनीकी खामियों को दूर कर सकता है ताकि विशिष्ट पहचानसूचक हों और विशिष्ट प्रकार की ड्रॉबैक के लिए सटीक एमआईएस रिपोर्टिंग स्पष्ट रूप से हो।

5. सीबीआईसी ब्रांड दर आवदनों की निर्धारण प्रक्रियाओं और दावों के सत्यापन को सुव्यवस्थित तथा तेज कर सकता है, जिससे ड्राबैक दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित हो सकता है।

6. डीओसी को निष्पक्षता और दक्षता को बनाए रखने के लिए 90 दिनों की अवधि के भीतर आवेदनों की शीघ्र प्रसंस्करण सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ब्याज प्रभारों को कम करने को लिए, वित्तीय विवेक को बढ़ावा देने और पात्र दावेदारों को समय पर लाभ देने के लिए आरए अनुमोदन के निर्धारित 30 दिनों के भीतर ड्यूटी ड्रॉबैक का संवितरण किया जाना चाहिए।

7. सीबीआईसी को सभी प्रकार के दावों जैसे ब्रांड दर, विशेष ब्रांड दर और पूरक दावों को शामिल करने के लिए एआईआर ड्रॉबैक मामलों से परे व्यापक स्वचालन के लिए ई-संचित और स्विफ्ट जैसे अपने मौजूदा प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना चाहिए।

8. सीबीआईसी आईसीईएस (भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली) को एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली, जीएसटीएन और डीजीएफटी ईडीआई प्रणालियों के साथ एकीकृत करके एक मजबूत प्रणाली विकसित कर सकता है ताकि डेटा का मिलान सटीकता के साथ किया जा सके और लेनदेन को ट्रेक किया जा सके और प्रबंधित किया जा सके जिससे ड्यूटी ड्रॉबैक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।